

# अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण पत्र

1- मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
.....(विद्यार्थी का नाम व पूर्ण पता)

(पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता).....

.....(प्रवेश पंजीकरण संख्या) ने.....

.....(परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। मैंने विधि/ उच्चतम

न्यायालय/केन्द्र/राज्य सरकारों के रैगिंग से सम्बन्धित निर्देशों को पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2- मैंने मुख्य रूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।

3- मैंने धारा-7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4- मैं निश्चयपूर्वक यह प्रत्यक्ष करूँगा कि-

(क) मैं किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा-3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।

(ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने लूँगा/लूँगी जो किसी रैगिंग की धारा-3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।

5- मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6- मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान -

दिनांक -

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर.....नाम.....

पूर्ण पता.....

.....मोबाईल नम्बर.....

" प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।